भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2658
जिसका उत्तर बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय का स्थानांतरण

2658. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर की जनता की उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रबल मांग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार उच्च न्यायालय को विजयवाड़ा से कुरनूल स्थानांतरित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उच्च न्यायालय हेतु स्थान के चयन का क्या मापदंड है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : संविधान का अनुच्छेद 214 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । संविधान के अनुच्छेद 214 और भारत संघ बनाम टी. धनगोपाल राव और अन्य [एसएलपी (सिविल) डा. संख्या 2018 का 29890] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश तारीख 29.10.2018 के अनुसरण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और हैदराबाद स्थित तत्कालीन उभयनिष्ट उच्च न्यायालय के परामर्श से तारीख 01.01.2019 से लागू आंध्र प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2014 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय अर्थात् अमरावती स्थित प्रधान स्थान के साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। कुरनूल शहर में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए एक संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । तथापि, उच्च न्यायालय की स्थापना/स्थानांतरण और उच्च न्यायालय के स्थान के चयन का मामला राज्य सरकार और संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

****